

हुक्मनामा

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

प्रकरण संख्या पत्थर गढी 51/2022

दिनांक 23-5-22

नारायण पिता खेमराज जी जाति चारण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी
तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

-प्रार्थी

बनाम

1. चेना पिता कुका गुर्जर आयु वयस्क निवासी कानपुरा झुपड़िया तह0
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. कंचन बाई पत्नी बाबुलालजी जाति चारण आयु वयस्क निवासी अरनिया
जोशी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. गुलाबी पत्नी ताराचन्द जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी अरनिया जोशी
तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

-विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रेषिती- तहसीलदार निम्बाहेडा

1. जो कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजी वाकै मौजा
मोठा प0ह0 अरनियाजोशी तह0 निम्बाहेडा की खाता नं0 128 की आराजी
नं0 649 रकबा 0.6600 हेक्टेयर, आराजी नं0 650 रकबा 0.0100 हेक्टेयर,
आराजी नं0 651 रकबा 0.9400 हेक्टेयर स्थित है। इस आशय की पत्थरगढी
पेश की साथ मे नकल जमाबंदी व नक्षा ट्रेस पेश की पत्रावली का
अवलोकन कर उस पर विश्वास करते हुवे आपको जरिये हुक्मनामा आदेशीत
किया जाता है कि आप पक्षकारान को सुचित कर मौके पर पहुंचकर बिना
किसी के कब्जे मे दखलअंदाजी किये आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह



रोपे व फिस पत्थरगढी रुपये 1.50.00/...प्रार्थी से वसुल कर राजकोष मे जमा करायें पालना रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 13.6.21 को पेश करें।

अतः यह हुक्मनामा आज दिनांक 23.05.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय के जारी किया।



 हस्ताक्षर
उपखंड अधिकारी, महोदय
नुवाकोट (बिलासपुर)